

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज0)।

राजकीय चिकित्सालय

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी राजकीय चिकित्सालय
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक(विशिष्ट कोर्सेज एवं सी.ओ.ई.) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) प्रमुख वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी – चिकित्सालय से संबंधित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण (ग) अन्य चिकित्सालय संकाय सदस्य (7) – चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सकीय निर्देशों की पालना। (घ) सहायक स्टाफ (3) – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	प्रमुख वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी के द्वारा सहायक निदेशक (विशिष्ट कोर्सेज एवं सी.ओ.ई.) के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के आदेशानुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	नियमानुसार चिकित्सालय के कार्यों के निर्वहन के मापदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय के निर्धारित समस्त कर्तव्य सम्पादन। इसके साथ ही चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार चिकित्सालय संकाय के दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	RPA, RPR-Other Circular Issued by PHQ ➤ निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। ➤ कार्य निर्धारण हेतु चिकित्सालय संकाय हेतु द्वारा जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के तहत कार्य निष्पादन पालन करवाना। ➤ समय-समय पर जारी अन्य विनियम।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● चिकित्सालय स्टाफ का उपस्थिति रजिस्टर ● चिकित्सालय में पदस्थापित मेल नर्स/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम./लैब टेक्नीशियन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक का आकस्मिक अवकाश रजिस्टर ● डिस्पैच रजिस्टर ● ओपीडी रजिस्टर ● आई.पी.ओ. ● मलेरिया रजिस्टर ● लैब इन्वेस्टीगेशन रजिस्टर ● धूम्रपान निषेध रजिस्टर ● लैब स्टॉक रजिस्टर ● स्टॉक रजिस्टर दवाईयाँ ● स्टॉक रजिस्टर परमानेंट आर्टिक ● दैनिक दवा उपभोग रजिस्टर

		● विभिन्न पत्रों से संबंधित आदेशों की पत्रावलियाँ
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	प्रमुख वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, फोन नं. 0141-2302131 पी.पी.एक्स नं.-519.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक(प्रशासन) को दिये गये आवेदन के पश्चात् उनके निर्देशानुसार।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।